ई-मेल

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः एफ.8(2)(9)निर्वा/2013/8300 जयपुर, दिनांकः 24-10-2018

प्रेषकः मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर्स) राजस्थान।

विषयः— विधानसभा आम चुनाव, 2018 के लिए मतदान केन्द्रों पर लगने वाले अस्थायी विद्युत कनैक्शनों की अमानत राशि में छूट बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विधानसभा आम चुनाव, 2018 के लिए जिन मतदान केंन्द्रों पर विद्युत कनैक्शन नहीं है वहाँ अस्थायी विद्युत कनैक्शन लगाए जाने है। इन अस्थायी विद्युत कनैक्शनों की अमानत राशि की छूट जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा उनके पत्र कमांक 162 दिनांक 22.10.2018 के द्वारा दी गयी है।

सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र कमांक 162 दिनांक 22.10.2018 की छायाप्रति संलग्न कर निवेदन है कि अस्थायी विद्युत कनैक्शन लेते समय पत्र में दर्शायी गयी राशि जमा नहीं करायी जावें। यह भी निवेदन है कि विद्युत कनैक्शन विच्छेद कराये जाने पश्चात् विद्युत का अन्तिम बिल की राशि विद्युत विभाग में जमा कराया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(डॉ रेखा गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

www.rajteachers.com

अति आवश्यक -- विधानसभा चुनाव--2018

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(राज. सरकार का उपक्रम)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता(सी.ए. एण्ड एच.क्यू)

पंजीकृत कार्या.:-कमरा नं0 231, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर-302005

ईमेल - cehq@jvvnl.org फोन नं0 - 0141-2747040, फैक्स नं0 - 0141-2744003

CIN: U40109RJ2005GC016486

क्र0 जेपीडी/मुअ(सी.ए. एण्ड एच.क्यू.)/अधी.अभि.(वा.)/पत्रा. /प्रे0 162 जयपुर, दिनांक 22.10.2

आदेश

विषय -- विधान सभा चुनाव--2018 के दौरान मतदान बूथों पर अस्थाई विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने बाबत्।

श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र सं0 एफ. 8(2)(28)निर्वा/2017/6769 दिनांक 04.10.2018 द्वारा आगामी विधान सभा चुनाव--2018 हेतु ऐसे मतदान केन्द्र जहां बिजली कनेक्शन नही है उन पर मतदान अवधि के लिए अस्थाई विद्युत कनेक्शन देने हेतु व अमानत राशि से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस संदर्भ में यह निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त अवधि के लिये जिला कलेक्टर द्वारा उपलब्ध सूची के अनुसार मतदान बूथों पर सिंगल फेस (5 कि.वा. तक) अस्थाई विद्युत कनेक्शन जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके लिये व्यय होने वाली राशि का विवरण उपभोग की गई विद्युत के व्यय सहित मतदान के तुरन्त बाद निम्नलिखित दरों पर भुगतान हेतु मय विवरण, संबंधित वृत लेखाधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

प्रार्थना पत्र शुल्क	रू0 200.00
स्थाई व्यय	रू0 250.00
विद्युत शुल्क (अस्थाई कनेक्शन हेतु)	रू0 13.20 प्रति यूनिट
स्थाई शुल्क	रू0 49.50 (तीन दिन के लिये)

अस्थाई विद्युत कनेक्शन हेतु आवश्यक प्रक्रिया (जैसे प्रार्थना पत्र, स्टाम्प पेपर, एल फार्म, भुगतान हेतु अन्डरटेकिंग इत्यादि) जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति से पूरी करवा लेवें। उक्त आदेश अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर की अनुमति से जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से

22/10/18

(आर.के. चौधरी)

मुख्य अभियन्ता (सी.ए.एण्ड एच. क्यू)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है--

1. श्रीमान् मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. श्रीमान् संभागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर संभाग/भरतपुर संभाग/कोटा संभाग), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर/भरतपुर/कोटा
3. श्रीमान् प्राविधिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर डिस्कॉम, जोधपुर, अजमेर
4. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता (जेसीसी/जेपीडीसी/प.व.स.), जयपुर डिस्कॉम, ...

www.rajteachers.com

मुख्य अभियन्ता(सी.ए.एण्ड एच.क्यू)

D/Sunny Hindi letters